न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

R - 1583 - BBP/14 राजस्व रिवीजन प्र.क. /14

गुलाब पिता श्री रामफल 49 वर्ष

2. राजू पिता श्री रामफल 36 वर्ष

3. श्रीमती नानीबाई बेवा रामफल 72 वर्ष

तीनों निवासी ग्राम भिलाड़ियाकला,

तहसील सिवनी मालवा,जिला होशंगाबाद

4. अनुबाई पुत्री श्री रामफल पत्नी भीमसिंह

निवासी-ग्राम भराड़ी तहसील छनेरा

जिला खंडवा (म.प्र.) ...रिवीजनकर्ता

विरुद्ध

1. लखनलाल पिता रामफल आयु 52 वर्ष

निवासी-ग्राम भिलाड़ियाकला,

तहसील सिवनी मालवा जिला-होशंगाबाद

2. श्रीमती सुईया उर्फ अनुसुईया बेवा हजारीलाल,

निवासी-ग्राम ढाबाकला तहसील इटारसी,

जिला होशंगाबाद (म.प्र.) ...अनावेदकगण

राजस्व रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

रिवीजनकर्ता की ओर से सविनय निवेदन है :-

विद्वान न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा प्रकरण क्रमांक 57 अपील/13-14 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2013 जिसके द्वारा उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 22/अ-6/11-12 में पारित आदेश दिनांक 26.08.2013 जिसके द्वारा उन्होंने संशोधन पंजी क्रमांक 10/124, 214 प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 05.07.85 ग्राम भिलाड़ियाकला तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद को यथावत् स्थिर रखकर अपील समयावधि बाह्य होने के आधार पर बिना रिकार्ड आहूत किये प्रारंभिक तर्क में ही निरस्त की जिससे व्यथित एवं विक्षुब्ध होकर सुदृढ़ तथ्यों एवं ठोस वैधानिक आधारों पर रिवीजन अविलंब सादर समयावधि में पेश हैं:-

ADITYA-2690

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1483–पीबीआर/14 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–05–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 28–11–2013 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा इस आशय का निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की सत्य प्रतिलिपियों से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है । इससे स्पष्ट है कि आवेदकगण को तहसील न्यायालय के आदेश का संज्ञान भली भांति रहा है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समयावधि बाह्य होना माना जाना उचित है । अपील में दर्शित बिन्दुओं से स्पष्ट नहीं होता है कि आवेदकगण को विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं थी । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त द्वारा अपील अग्राह्य करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूपयह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	